संख्या-10/2015/211 ई-1/तेरह-2015-127(6)/2004

प्रेषक,

मोहम्मद जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-1 लखनऊ:: दिनांकः 17 मार्च, 2015

विषयः- आबकारी विभाग के निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए वाहन के स्थान पर नये प्रतिस्थानी वाहन क्रय करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-सी 3400/एक-16(गाड़ी)/वाहन क्रय] दिनांक 06 फरवरी, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-5/2015/1770 ई-1/तेरह-2014-127(6)/2004 दिनांक 03 फरवरी, 2015 द्वारा आबकारी विभाग के निष्प्रयोज्य एवं नीलाम हुए कुल 06 निष्प्रयोज्य वाहनों के स्थान पर प्रतिस्थापन स्वरूप 03 मारूति सुजुकी डिजायर जेड.एक्स.आई. माडल (प्रति मारूति सुजुकी जेड.एक्स.आई. माडल का डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट रू0 6,11,177/-) तथा 03 बोलेरो एल.एक्स माडल वाहन क्रय किये जाने हेतु (प्रति बोलेरो एल.एक्स. का डी0जी0एस0 एण्ड डी0 रेट रू0 5,41,216) अर्थात कुल 06 प्रतिस्थानी वाहनों के क्रय हेतु कुल रू0 34,57,179/- (रूपये चैंतीस लाख सत्तावन हजार एक सौ उन्यासी मात्र) को व्यय किये जाने की प्रदान की गई वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में उत्पाद शुल्क से पूर्व प्रदत्त छूट समाप्त कर दिये जाने के कारण उक्त वाहनों के मूल्य में हुई वृद्धि के फलस्वरूप रू0 1,45,108/- की अतिरिक्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त वाहनों के मूल्य में हुई वृद्धि के फलस्वरूप अब प्रति मारूति सुजुकी डिजायर जेड.एक्स.आई. माडल रू0 6,38,813/- की दर से 03 मारूति सुजुकी डिजायर जेड.एक्स.आई. माडल तथा प्रति बोलेरो एल.एक्स. माडल रू0 5,66,949/- की दर से 03 बोलेरो एल.एक्स माडल वाहन क्रय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 03 फरवरी, 2015 द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि के सापेक्ष वाहनों के क्रय हेतु कम पड. रही कुल धनराशि रू0 1,45,108 (रू0 एक लाख पैंतालिस हजार एक सौ आठ मात्र) की अतिरिक्त वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उक्त वाहनों का क्रय शासनादेश संख्या-5/2015/1770 ई-1/तेरह-2014-127(6)/2004 दिनांक 03 फरवरी, 2015 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जाय।

4. प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-01-लेखाशीर्ष-"2039 राज्य उत्पाद शुल्क-001-निदेशन तथा प्रशासन-आयोजनेत्तर-03-अधीक्षण-14-मोटर गाड़ियों का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-101/दस-2015 दिनांक 16.03.2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मोहम्मद जुनीद)
संयुक्त सचिव।

संख्या-10/2015/211(1) ई-1/तेरह-2015-127(6)/2004 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9.
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1.
6. बजट पत्रावली, आबकारी अनुभाग-1
7. आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मोहम्मद जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

---

**1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।**
**2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।**